



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

Ph. No. - 05966-297600
Fax No. - 05966-297600

Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 2859/18सी0
सेवा में,

दिनांक, 26/12/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुल्ल निर्माण हेतु 0.009 हे० सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 852/18सी0 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 1180/18सी0, दिनांक 14.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों द्वारा उक्त मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये थे, वर्तमान में पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु.161463.00 मात्र UTR संख्या-SBIN415324506117 द्वारा जमा कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्न है)। पुनः अतिरिक्त धनराशि रु0 3313.00 का भुगतान UTR संख्या- SBIN523088461846 द्वारा दिनांक 26.03.2023 को जमा कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202-1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु रु0 5913.00 मात्र UTR संख्या-SBIN41532450 6117 द्वारा जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न है)। पुनः अतिरिक्त धनराशि रु0 3313.00 का भुगतान UTR संख्या-SBIN523088461846 द्वारा दिनांक 26.03.2023 को जमा कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25229 कापोरिशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में जमा में जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25229 कापोरिशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में UTR संख्या-SBIN415324506117 एवं UTR संख्या- SBIN523088461846 द्वारा जमा कर दी गयी है।

क्रमशः पेज-2 पर

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202-1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कापेरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	बिन्दु सं0-4 के अनुसार।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	छाया प्रति संलग्न है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे उक्त मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

भवदीया,

(इं0 अरुण भट्ट)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अवाछनीय होगा। भविष्य में इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुन निर्माण हेतु 0.009 हे० सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो०नि०वि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


कनि० अभियन्ता/अ० स० अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुन निर्माण हेतु 0.009 हे० सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


कनि० अभियन्ता/अ० स० अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।

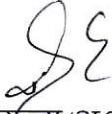

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।


अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुन निर्माण हेतु 0.009 हे० सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्र वन विभाग को उपलब्ध करा दिये गये है।



कनि० अभियन्ता/अ० स० अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।



अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**

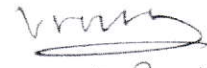
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 8/1/15 at time 2.00 P.M. at Almora in which application claiming rights in Naken area measuring 0.004 hectares, for **Construction of foot Bridge in Naken Gadhera for Naugaon Villege** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated: 8/1/15


08-01-15

**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- उत्तर पूर्वी ग्राज्य विकास योजना के अन्तर्गत भिक्षाघाट में नौशान
ग्राम हेतु एक रास्ते के पुल निर्माण का कार्य

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिक्षाघाट ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड भिक्षाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि 32-5 हे०, विमल सांयम भूमि 0.0045 हे० तथा वन पचायत भूमि 0.0045 हे० अर्थात् कुल वन भूमि 0.0090 हे०) निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील भिक्षाघाट का दिनांक 12-2014 का सम्मन्ध बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री श. म. न. मिश्रा उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | श्री <u>श. म. न. मिश्रा</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2 | श्री <u>डी. एम. जीना</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य। |
| 3 | श्री <u>आस्थासुख</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव। |
| 4 | श्री <u>सती निशा</u> | गै०डी०सी० क्षेत्र <u>वि०ख०-भिक्षाघाट</u> | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए (अल्पसंख्यक अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिक्षाघाट के अन्तर्गत नौशान ग्राहरे में पुल पुल का (24 मी.) प्रमाण पत्र एजन्सा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधानों का स्पष्ट करते हुये जानकारी से मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावजा का दावा आगमन पत्र परतुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड भिक्षाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड के अन्तर्गत नौशान ग्राहरे में पुल निर्माण गलत मार्ग के निर्माण हेतु 0.0090 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग, रानीखेत का जनहित में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - भिक्षाघाट

प्रतिनिधि जिलाधिकारी अल्मोड़ा का सुनने एवं अपरान्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - भिक्षाघाट
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

मुख्यमंत्री ग्राम संचोदकता योजना के अन्तर्गत
भिकियासैन में नौगाँव ग्राम हेतु नैकण गधरे में पुल
निर्माण का कार्य,

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- नैकण

तहसील :- भिकियासैन

जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन नैकण गधरे

में मैदल पुल - ग्राम के निर्माण (.....00 किमी०) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि ३५०
है०, सिविल सोयम भूमि ०.००४५ है० तथा वन पंचायत भूमि ०.००४५ है० अर्थात् कुल वन भूमि ०.००९
०.००४ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा
प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैकण
द्वारा दिनांक 13/10/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी
द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह
है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा
किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया
गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया
जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया
गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उदोगोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण
खण्ड, लो० नि० विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.....
विकास खण्ड.....

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत नैकण
दि० ख० भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 13/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

प्रस्ताव संख्या (20)

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

- 1) भिक्षु नाराज
- 2) कमला देवी
- 3) दुर्गा देवी
- 4) देवी देवी
- 5) लाला रामचन्द्र
- 6) पुष्पा देवी
- 7) चन्द्रा देवी
- 8) देवी देवी - (वार्ड सदस्य)
- 9) पावती देवी
- 10) राधा देवी
- 11) चन्द्रा देवी - (वार्ड सदस्य)
- 12) देवी देवी
- 13) गीता देवी
- 14) नन्दी देवी
- 15) लक्ष्मी
- 16) समता देवी
- 17) लक्ष्मी
- 18) कुंवर देवी
- 19) Bhowani
- 20) गीता देवी (वार्ड सदस्य)

हीरा सिंह

ग्राम

ग्राम पंचायत नैकणा
दि० ख० भिकिया सैण (अल्मोडा)